2	3	4	5
Khaperkheda	13850	12	30-6-80
Bhusawal	4643	2	30-6-80
Koradi	71055	10	30-6-80
Nasik	22026	5	30-6-80
Paras	7406	6	30-6-80
Amarkantak	25241	7	26-6-80
Parli	1759	2	20-6-80
Korba	277108	46	26-6-80
Satpura	115357	30	26-6-80

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के बाद औषधियों के मूल्य में वृद्धि

3308. **श्री कालीचरण शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधियों के नाम क्या हैं जिनकी कीमतों में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के जारी किये जाने के बाद वृद्धि की अनुमति दी गई थी और मूल्यों में वृद्धि की अनुमति कितनी बार दी गई तथा प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई ;

(ख) मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के बाद अधिकतम कितने प्रतिशत, वृद्धि की अनुमति दी गई ; और

(ग) बार-बार वृद्धि की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने औषधालय (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के लागू होने के बाद, वर्ष 1980–81 के बजट प्रस्तावों में पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों पर लागू किये गये उत्पाद शुल्क की मूल दर के 1120 के बराबर वृद्धि को छोड़कर मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि की कोई अनुमति नहीं दी है ।

बल्क औषधों के मामले में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के लागू होने के बाद निम्नलिखित बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी :—

क्रम सं०	औषध का नाम	संशोधन से पूर्व मूल्य	डी०पी०सी०ओ० 79 के अन्तर्गत संशोधित मूल्य (रुपये/किग्रा०)	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सोडियम पी० ए० एस०	61.00 (कैप्टिव प्रयोग के लिये)	65.02 (कैप्टिव प्रयोग के लिये)	6.59
		63.16 (दूसरों को बेचने के लिये)	67.18 (दूसरों को बेचने के लिये)	6.36
2.	पी० ए० एस० एसिड	65.85 (कैप्टिव प्रयोग के लिये)	69.87 (कैप्टिव प्रयोग के लिये)	6.10
		68.00 (दूसरों को बेचने के लिये)	72.02 (दूसरों को बेचने के लिये)	5.91

1	2	3	4	5
3.	कैल्शियम पी० ए० एस० .	83.26 (कैप्टिव प्रयोग और दूसरों को बेचने के लिये)	89.14 (कैप्टिव प्रयोग और दूसरों को बेचने के लिये)	7.06
4.	कैल्शियम पी० बी० ए० एस० .	65.28 (कैप्टिव प्रयोग और 'बिक्री के लिये)	68.12 (कैप्टिव प्रयोग और (बिक्री के लिये)	4.35
5.	इन्डोमेथासिन . . .	672.00 (पूल मूल्य)	918.70 (पूल मूल्य)	36.71

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के लागू होने के बाद जहां सरकार ने बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी है उनकी प्रतिशत वृद्धि को भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है, उत्पाद शुल्क के कारण फार्मूलेशनों के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में बताये गये मामलों में से किसी भी मामले में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के लागू होने के बाद मूल्यों में वृद्धि के लिए एक बार से अधिक अनुमति नहीं दी गई है। पी० ए० सी० एस० और उसके लवण के मामले में वृद्धि की अनुमति दी गई थी क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण पी० ए० सी० एस० और उसके लवण के उत्पादन के लिये अपेक्षित एक रसायन, पेरा-एमिनोफिनोल के मूल्य बढ़ गये हैं।

जहां तक इन्डोमेथासिन का संबंध है औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 79 के लागू होने से पहले सी० पी० सी० द्वारा आयातित बल्क औषधों की बिक्री हेतु उनके लिये 672/- रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य प्रचलित था। देश में एक लघु उद्योग एकक अर्थात् मैसर्स मर्मेड केमिकल्स द्वारा उत्पादन आरम्भ करने के बाद स्वदेशी उत्पादन के लिये प्रति किलोग्राम 918.70 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया है।

Hydro-Electric Projects of Karanataka

3309. SHRI OSCAR FERNANDES: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) what are the details regarding the number of hydro-electric projects submitted by the State of Karnataka which are incomplete and need Union Government approval; and

(b) the time since when each one has been pending and by when these projects are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b). Two hydel schemes are awaiting clearance. A statement showing the details is enclose.

Statement

Scheme	Installed capacity	Estimated cost (Rs. in crores)	Date of receipt of report	Present status of project report
1	2	3	4	5
Ghataprabha Hydroelectric Project.	[illegible] MW	18.02	June, 1978	Project report examined in the Central Electricity Authority Central Water Commission and comments sent to the Project authorities. Replies to the comments on irrigation releases have been received in May, 1980 and are Currently under examination.